न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/37/2010	2010/00002	12-08-2010	04-01-2024

1- बचनसिंह पुत्र स्व0 श्री प्रतापसिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी ग्राम मुवारिकपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।
2- बेअंत सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रतापसिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी ग्राम मुवारिकपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।
3- मु0श्रवण कौर पुत्री स्व0 श्री प्रतापसिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी ग्राम मुवारिकपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।

अपीलान्टस

बनाम

1-श्रीमती रणजीत कौर बेवा स्व0 जोगिन्दर सिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी मुवारिकपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।
2- हरदेवसिंह पुत्र स्व0 जोगिन्दर सिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी मुवारिकपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।
3- गुरुदेव सिंह पुत्र स्व0 जोगिन्दर सिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी मुवारिकपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।
4- श्रीमती गुरमीतकौर पुत्री स्व0 जोगिन्दर सिंह जाति ब्राह्मण सिख हाल निवासी ग्राम पाटा तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।
5- तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफीसर रामगढ़ तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।

रेस्पाडेन्टान्

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार रामगढ़ निर्णय दिनांक 14.07.2010 इंतकाल सं. 574 वाके ग्राम मुबारिकपुर, तहसील रामगढ़, जिला अलवर।

उपस्थितः-
01. श्री उदय सिंह —वकील अपीलान्टस
02. श्री देवेन्द्र कुमार जैन — वकील रेस्पोडेन्ट्स

—निर्णय—

अपीलाण्टस ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के निर्णय दिनांक 14.07.2010 इंतकाल संख्या 574 वाके ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आज्ञा दिनांक 14.07.2010 रेस्पोडेण्ट सं0 5 के द्वारा रेस्पोडेण्ट सं0 1 ला0 4 के हक में आराजी ख0नं0 1320 रकबा 0.18 ऐयर चाही द्वितीय, ख0नं0 2152 रकबा 0.1 ऐयर गैर मुमकिन चाह व ख0नं0 2153 रकबा 0.59 ऐयर चाही द्वितीय वाके ग्राम मुबारिकपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0 का इंतकाल संख्या 574 तस्दीक फरमाया है। जिस आज्ञा के विरूद्ध श्रीमान को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार आयद है। आज्ञा दिनांक 14.07.2010 तहसीलदार रामगढ़ द्वारा इंतकाल सं0 574 तस्दीक किये जाने से अपील अंदर अवधि पेश है। यह कि अपीलाण्ट सं0 1 ला0 3 के पिता स्व0 प्रतापसिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी ग्राम मुबारिकपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0 के निवासी थे जो भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय वर्ष 1950 में पाकिस्तान से आये थे जिनको 27 बीघा 6 बिस्वा जमीन जिसके ख0नं0 साबिक 778 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा बारानी प्रथम, ख0नं0 794 रकबा 15 बिस्वा चाही दोयम, ख0नं0 801 रकबा 12 बिस्वा चाही दोयम, ख0नं0 981 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा बारानी प्रथम, ख0नं0 999 रकबा 2 बीघा बारानी प्रथम, ख0नं0 1000 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा बारानी प्रथम, ख0 नं0 1001 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा बारानी प्रथम, ख0नं0 1002 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 1003 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा बारानी दोयम, ख0नं0 1004 रकबा 1 बीघा 8

बिस्वा बारानी दोयर, ख0नं0 1287 रकबा 14 बिस्वा चाही प्रथम व बारानी व ख0नं0 1252 रकबा 16 बिस्वा चाही व बारानी व ख0नं0 1256 रकबा 10 बिस्वा चाही, ख0नं0 1258 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा बारानी प्रथम, ख0नं0 1259 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा प्रथम, ख0नं0 1281 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा बारानी प्रथम, ख0नं0 1329 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, ख0नं0 1330 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा बारानी प्रथम, ख0नं0 1359 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा बारानी प्रथम कुल किता 19 कुल रकबा 27 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम मुबारिकपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0 में आवंटित हुयी, जिनका सेटलमेण्ट विभाग द्वारा संवत् 2020 में उपरोक्त खतोनी जमाबन्दी में गैर खातेदारी में नाम अंकित है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 के ससुर व रेस्पोडेण्ट सं0 2 ला0 4 के दादा स्व0 श्री बाबूप्रतापसिंह पुत्र हरिसिंह भी भारत पाक विभाजन में पाकिस्तान से आये थे तथा वो भी ग्राम मुबारिकपुर में निवास करते थे जिनको भी जमीन आवंटित हुई थी, परंतु रेस्पोडेण्ट सं0 1 के ससुर व 2 के दादा का पूरा नाम बाबू प्रतापसिंह ही था। बाबू प्रतापसिंह के देहांत के वाद उनका विरासत इंतकाल उनके पुत्र जोगेन्द्रसिंह रेस्पोडेण्ट सं0 1 के पति व रेस्पोडेण्ट सं0 2 ला0 4 के पिता थे, के नाम गैर खातेदारी का तस्दीक किया गया। इस प्रकार आराजीयात वाबू प्रतापसिंह को आवंटित हुई। उसका विरासत इंतकाल स्व0 जोगेन्द्रसिंह पुत्र बाबू प्रतापसिंह के हक में तस्दीक हुआ। जोगेन्द्रसिंह के वारिसान रेस्पोडेण्ट सं0 1 ला0 4 हैं। अपीलाण्ट के पिता स्व0 श्री प्रतापसिंह पुत्र हरीसिंह ने अपनी कुल आराजीयत की वसीयत दिनांक 31.07.1985 को अपीलाण्टान के हक में तहरीर व तकमील कराकर उस पर अपने अंगूठा निशानी लगा दिये। चूंकि, उनको लकवा की शिकायत थी इसलिए वो दस्तखत नहीं कर सके व वसीयत पर उन्होंने गवाहान की गवाही करा दी व वसीयत को सब रजिस्ट्रार रामगढ से पंजिबद्ध करा दिया। इस प्रकार बाद वफात प्रतापसिंह पुत्र हरीसिंह उनकी कुल आराजीयात पर बहैसियत मालिक काबिज खातेदार काश्तकार हुए एवं उन पर कब्जा वास्तविक रूप से चला आ रहा है। अपीलाण्टान के पिता स्व0 श्री प्रतापसिंह की खातेदारी की अन्य आराजीयात का इंतकाल तो अपीलाण्टान के हक में ही हुआ, परन्तु तीन खसरा नंबरान हाल नंबर 1320 रकबा 0.18 ऐयर चाही व ख0नं0 2152 रकबा 0.01 ऐयर गैर मुमकिन चाह व ख0नं0 2153 गैर मुमकन चाह कुल किता 3 रकबा 0.78 ऐयर जो अपीलाण्ट के पिता की आवंटितशुदा भूमि थी। उनका विरासत इंतकाल बिना किसी अधिकार के रेस्पोडेण्टान सं0 1 ला 4 के हक में रेस्पोडेण्ट सं0 5 ने दर्ज कर दिया जिसका आधार तथाकथित पट्टा सं0 5361 दिनांक 24.06.1997 माना, जो कस्टोडियन से जारीशुदा है। इस प्रकार तथाकथित पट्टा दिनांक 24.06.1997 को आधार मानते हुएं अपीलाण्टान के पिता के खातेदारी की आराजी ख0नं0 1320 व ख0नं0 2152 व ख0नं0 2153 की बाबत रेस्पोडेण्ट सं0 5 ने रेस्पोडेण्ट सं0 1 ला 4 के हक में विरासत इंतकाल सं0 574 दर्ज कर दिया जो बाला–बाला विधि विरुद्ध एवं मनमाने तरीके पर किया गया है जिसको अपास्त कराने हेतु पृथक से अपील पेश की है। तथाकथित पट्टा दिनांक 24.06.1997 जो कस्टोडियन से जारीशुदा है उसकी अपीलाण्टान को हाल में जानकारी हुई है उससे पूर्व अपीलाण्टान को उक्त तथाकथित पट्टे की कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए उक्त पट्टा के विरूद्ध नकल मिलने पर अलग से पील की जावेगी, चूंकि तथाकथित पट्टा गैर खातेदारी से खातेदारी में परिवर्तन का है, जबकि विवादित आराजीयात रेस्पोडेण्टान के पिता व पति व उनके दादा की खातेदारी में कभी नहीं रही है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 के पति व रेस्पोडेण्ट से0 2, 3, 4 के पिता स्व0 श्री जोगेन्द्रसिंह पुत्र श्री बाबू प्रतापसिंह के द्वारा एक दावा धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधि0 के तहत अपीलाण्ट व उनके अन्य भाई–बहनों के विरूद्ध दिनांक 11.07.2006 को उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के यहां बउनवान जोगेन्द्रसिंह बनाम गुरूबचन सिंह के नाम से दायर किया। जिसमें वाद पत्र में यह अंकित किया हुआ है कि वादी ने पुनर्वास विभाग को आराजी की कीमत अदा करके पट्टा सं0 5361 दिनांक 24.06.1997 मिल चुका है जिसका इंतकाल सं0 1631 वादी के हक में दिनांक 10.07.1991 को तस्दीक हुआ है। चूंकि, रेस्पोडेण्ट सं0 1 ला 4 ने रेस्पोडेण्ट सं0 5 से अपना बेजा मेल मिलाया हुआ है। उसने पटवारी हल्का से सांठगांठ करके गलत रिपोर्ट तैयार कराकर उक्त आधारों पर विधि विरूद्ध इंतकाल तस्दीक कराया है जो अपास्त होने योग्य है। चूंकि, उक्त वाद में वादी जोगेन्द्रसिंह यानी रेस्पोडेण्टान के पिता व पति ने ही स्टे कराया हुआ था एवं स्वयं ने ही स्टे वैकेट कराया तथा उसको तहसीलदार ने आधार बनाकर विवादित तीन किता खसरा नंबरान की बाबत इंतकाल सं0 574 रेस्पोडेण्टान के हक में तस्दीक किया है, जो काबिले गौर अदालत श्रीमान है। तहसीलदार कम मैनेजिग आफीसर रामगढ के द्वारा पटटा सं0 5361 दिनांक 24.06.1997 गलत तरीके व विधि विरूद्ध बिना सुनवाई व जांच किये जारी किया गया है। जिन विवादित खसरा नंबरान तीन किता से रेस्पोडेण्टान के दादा व ससुर स्व0 श्री बाबू प्रतापसिंह का कोई सरोकार व वास्ता नहीं था ना ही कभी उक्त तीन खसरा नंबरान उनकी गैर खातेदारी, ना ही खातेदारी में रहे, ना ही रेस्पोडेण्टसं0 1 ला0 4

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

के पिता व पति जोगेन्द्रसिंह की गैर खातेदारी में रहा, इसी प्रकार कभी भी उक्त खसरा नंबरान पर रेस्पोडेण्ट सं0 1 ला0 4 कभी काबिज रहे ना ही उन्होंने कभी काश्त की ना ही उनकी खातेदारी में है। आज भी उक्त तीनों खसरा नंबरान पर अपीलाण्टान का ही कब्जा बहैसियत मालिक खातेदार काश्तकार चला आ रहा है एवं अपीलाण्टान के द्वारा ही तीनों खसरा नंबरान पर काश्त की जाती है। चूंकि, रेस्पोडेण्टान के पिता व पति स्व0 जोगेन्द्रसिंह के पिता का नाम बाबूप्रतापसिंह पुत्र हरीसिंह था व अपीलाण्टान के पिता का नाम प्रतापसिंह पुत्र हरीसिंह था जिसका एक नाम होने का नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पोडेण्टान के पिता व पति जोगेन्द्रसिंह ने विवादित तीन किता खसरा नंबरान की बाबत अपने हक में पट्टा जारी कराया है एवं रेस्पोडेण्टान ने उसका इंतकाल बाला–बाला तस्दीक कराया है, जबकि रेस्पोडेण्टान के दादा व ससुर अपने नाम के आगे बाबू लगाते थे तथा उनकी अलग जमीन है तथा अपीलाण्टान के पिता अपने नाम को मात्र प्रतापसिंह पुत्र हरीसिंह लिखते थे जिस बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत है, परंतु रेस्पोडेण्टान के पिता व पति जोगेन्द्रसिंह ने अपने पिता व अपीलाण्टान के पिता के एक नाम होने का नाजायज फायदा उठाया है, जो काबिले गौर अदालत श्रीमान है। तथाकथित पट्टा सं0 5361 दिनांक 24.06.1997 जो रेस्पोडेण्टान के पिता व पति जोगेन्द्रसिंह के नाम जारी हुआ, उसमें विवादित तीन किता खसरा नंबरान 1320, 2152, 2153 की बाबत इंतकाल जोगेन्द्रसिंह के हक में ही तस्दीक नहीं हुआ, परंतु रेस्पोडेण्ट सं0 5 ने इस तथ्य को गौर किये बिना ही एवं छुपाते हुए सीधे ही रेस्पोडेण्टान के हक में विवादित तीन किता खसरा नंबरान का इंतकाल तस्दीक कर दिया। यह कि पूर्व वाद बउनवान जोगेन्द्रसिंह बनाम गुरूबचन सिंह में जोगेन्द्रसिंह या मौजूदा अपील के रेस्पोडेण्टान ने कोई असल पट्टा पेश नहीं किया था तथा दिनांक 13.07.2010 तक तीन किता विवादित खसरा नंबरान का इन्द्राज जमाबंदी में अपीलाण्टान के पिता के हक में ही अंकित था, इसलिए अपीलाण्टान को यह इल्म नहीं था कि पट्टा तथाकथित में रेस्पोडेण्टान के पिता ने हमारे उक्त तीन किता विवादित खसरा नंबरान को अंकित कराया हुआ है, परंतु इंतकाल दिनांक 574 की नकल मिलने पर समस्त तथ्य उजागर हुए एवं इसलिए जानकारी संपूर्ण तथ्यों की दिनांक 26.07.2010 को हुई। चूंकि अपीलाण्ट के भाई जोगेन्द्र सिंह ने हमारे पिता द्वारा हमारे हक में की गयी वसीयत को कैन्सिल कराने हेतु दावा दिवानी एवं राजस्व न्यायालय में करने के कारण स्टे किया गया। इस कारण विवादित नंबरो का विरासत इंतकाल हमारे पिता का नहीं चढ़ाया गया जिस कारण रेस्पोडेण्ट के पिता ने नाजायज फायदा उठाकर पट्टा व इंतकाल चढ़वा लिया। जानकारी अंदर मियाद पेश की जा रही है एवं जानकारी से अंदर अवधि पट्टे के विरूद्ध अपील पेश की जा रही है। रेस्पोडेण्टान बाहोशियार व मुकदमाबाज शख्स हैं, जो येन केन प्रकारेण, विवादित खसरा नंबरान को जमाबंदी व अन्य दस्तावेजात में अपने नाम दर्ज कराकर व पट्टे के आधार पर बेचान करने व रहन बय हिबय से मुंतकिल करने पर उतारू हैं। यदि रेस्पोडेण्टान ने ऐसा कर दिया तो अपीलाण्टान को ऐसा भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से नहीं हो सकेगी। इसलिए ताफैसला अपील रेस्पोडेण्टान को इस कदर पाबंद किया जावे कि वे विवादित तीन किता खसरा नंबरान हाल नबंर 1320 रकबा 0.18 ऐयर चाही व ख0नं0 2152 रकबा 0.1 ऐयर गैर मुमकिन चाह व ख0नं0 2153 गैर मुमकिन चाह कुल किता 3 रकबा 0.78 ऐयर वाके ग्राम मुबारिकपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0 को दीगर जगह रहन बय हिबय से मुंतकिल ना करें व अपीलाण्टान को जबरन बेदखल करके कब्जा ना करें व कागजात माल में अपने नाम अमल दारामद ना करावें व कागजात माल राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति व मौके की स्थिति यथावत बनाए रखे व तहत अदालत की आज्ञा का प्रचलन भी स्थगित किया जावे। यह कि अपील अपीलाण्टान पेश कर निवेदन है कि अपील हाजा स्वीकार किया जाकर तहत अदालत की आज्ञा दिनांक 14.07.2010 इंतकाल सं0 574 जो विवादित खसरा नंबरान हाल नंबरान 1320 रकबा 0.18 ऐयर चाही व ख0नं0 2152 रकबा 0.1 ऐयर गैर मुमकिन चाह व ख0नं0 2153 गैर मुमकिन चाही कुल किता 3 रकबा 0.78 ऐयर की बाबत पारित की गई है उसे अपास्त किया जावे व खर्चा मुकदमा अपीलाण्टान को रेस्पोडेण्टान से दिलाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है, कि इंतकाल सं0 574 दिनांक 14.07.2010 सनद पट्टा 5361 दिनांक 24.06.1997 के आदेश की पालना में दर्ज कर स्वीकार किया गया है। पूर्व में इंतकाल सं0 1337 प्रतापसिंह पुत्र हरिसिंह मृतक की विरासत का जोगेन्द्र सिंह, गुरूबचनसिंह, बेअंतसिंह पुत्रान प्रतापसिंह व मु0 ज्ञानकौर, स्वर्णकौर, विद्यावती पुत्रियांन प्रतापसिंह के नाम दर्ज होकर स्वीकार हुआ है। जिसके द्वारा इंतकाल सं0 1337 निरस्त हुआ था। उक्त अपील भी प्रतापसिंह के वारीसान द्वारा की गयी थी। इस इंतकाल की अपील होने और स्टे होने के कारण रेस्पोडेन्ट के नाम का इन्द्राज मुताबिक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (राज0)

पट्टा सं0 5361 दिनांक 24.06.1997 नहीं हो सका। चूंकि आराजी मुतनाजा रेस्पोडेण्ट के बुजुर्ग प्रतापसिंह उर्फ बाबू प्रतापसिंह पुत्र हरिसिंह जाति ब्राह्मण सिख को पाकिस्तान से भारत आने पर सन् 1950 में आवंटित हुई थी। जिसकी कीमत व ब्याज रेस्पोडेण्ट के बुजुर्गों ने जमा कराया और खातेदारी प्राप्त की इसलिए पट्टा सं0 5361 दिनांक 24.06.1997 की पालना में इंतकाल सं0 574 दिनांक 14.07.2010 दर्ज कर स्वीकार हुआ है जिसकी अपील का अधिकार रेस्पोडेण्ट को नहीं है। जिसकी ताहिद में इंतकाल सं0 1844 दिनांक 30.09.2000 प्रस्तुत किया है। जिसकी अपील आदिनांक तक अपीलाण्ट द्वारा नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील में मुख्य तर्क यह उठाया है कि इंतकाल सं0 574 दिनांक 14.07.2010 जो सनद पट्टा सं0 5361 दिनांक 24.06.1997 की पालना में जोगेन्द्र सिंह पुत्र प्रतापसिंह के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया है, को विवादित आराजी की हद तक निरस्त फरमाया जावे। विवादित आराजी का पट्टा जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट के पिता व पति स्व0 जोगेन्द्र सिंह के हक में पारित किया है। जिसके द्वारा इंतकाल सं0 574 दिनांक 14.07.2010 दर्ज किया गया है, का अवलोकन किया गया है। विवादित पट्टे में मुख्य बिन्दु अपीलाण्ट के पिता व रेस्पोडेण्ट के दादा व ससुर प्रताप सिंह उर्फ बाबू प्रताप सिंह के नाम में विवाद होने से उत्पन्न हुआ है। जो एक विस्तृत जांच का बिंदु है। अधिनस्थ न्यायालय को उक्त संबंध में जांच करने की आवश्यकता है। हमने मूल पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2040 का अवलोकन किया जिसमें रेस्पोडेण्ट के दादा व ससुर के नाम आवंटित विवादित पट्टे में जो खसरा नंबर 1334, 1335, 1337, 1340, 1450 है, उनमें प्रतापसिंह के पिता का नाम हरिसिंह ना होकर हीरासिंह दर्ज है। जिससे भी उक्त पट्टे के संबंध में जांच किया जाना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी सामने आया है कि नामांतकरण संख्या 1631 व 1844 में स्व0 जोगेन्द्र सिंह के पिता का नाम बाबू प्रतापसिंह दर्ज है। उक्त विवादित इंतकाल पट्टा सं0 5361 दिनांक 24.06.1997 की पालना में दर्ज व स्वीकार किया है। न्यायालय हाजा द्वारा विवादित पट्टा विवादित आराजी की हद तक निरस्त कर अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त पट्टे की पालना किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट इंतकाल विवादित आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित पट्टा सं0 5361 दिनांक 24.06.1997 के निर्णय उपरान्त पुनः नियमों के आलोक में विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)